

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - (पीएमएसबीवाई)

(दावा फार्म)

यह फार्म दायित्व स्वीकार किए बिना जारी किया जाता है। अधिमानतः जिस दुर्घटना से दावा उत्पन्न हुआ उसके 30 दिन के भीतर इसे भरकर उस शाखा में जमा कराया जाना चाहिए जहां बीमित व्यक्ति का उल्लिखित बैंक खाता है।

01	खाता धारक (बीमित व्यक्ति) का नाम	
02	बीमित व्यक्ति का पूरा पता:	
03	बैंक शाखा का नाम एवं पता	
04	बचत बैंक खाता संख्या	
05	बीमित व्यक्ति का सम्पर्क विवरण (यदि उपलब्ध हो): मोबाइल नं.: दूरभाष नं.: ई-मेल पता: आधार सं., यदि उपलब्ध हो:	
06	नामिती का विवरण (बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में) नाम : मोबाइल/ दूरभाष नं.: ई-मेल पता: बैंक खाते का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक अंतरण हेतु): आधार सं., यदि उपलब्ध हो:	
07	दुर्घटना का विवरण क) दुर्घटना का दिन, तारीख और समय : ख) दुर्घटना का स्थान: ग) दुर्घटना की प्रकृति: घ) मृत्यु का कारण/चोट का विवरण:	
08	अस्पताल/इलाज करने वाले डॉक्टरों का नाम, पता और सम्पर्क का व्यौरा:	
09	बताएं कब और कहां कम्पनी का चिकित्सा या अन्य अधिकारी बीमित व्यक्ति से मिल सकता है।	
10	दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़: क) मृत्यु के मामले में: मूल प्राथमिकी/पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र ख) स्थायी विकलांगता के मामले में: मूल प्राथमिकी/ पंचनामा और सिविल सर्जन से विकलांगता प्रमाणपत्र ग) अदायगी रसीद	

घोषणा : मैं, एतदद्वारा, यह घोषणा करता/करती हूं और आश्वासन देता/देती हूं कि पूर्वगामी विवरण हर प्रकार से सत्य एवं पूर्ण है और मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि ऊपर दिया गया कोई विवरण गलत या असत्य साबित होता है या किसी जानकारी को दबाया या छिपाया गया है तो मुआवजे का मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत किसी अन्य कवर के माध्यम से उपर्युक्त दुर्घटना के कारण पीएमएसबीवाई के अंतर्गत देय राशि पर दावा नहीं किया है।

तिथि:

दावाकर्ता/नामिति का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए:

पॉलिसी संख्या	दावा संख्या
---------------	-------------

प्रमाणित किया जाता है कि, बैंक खाता और नामिति से संबंधित जानकारी को सत्यापित किया गया है। प्रीमियम दिनांक.....को बैंक खाते से डेबिट किया गया था तथा दिनांक.....को बीमाकर्ता को विप्रेषित किया गया था।

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  
अदायगी रसीद

दावा सं.: (बैंक द्वारा भरे जाने के लिए)

पॉलिसी सं.:

बैंक/शाखा का नाम :

बीमित व्यक्ति का नाम :

बीमित व्यक्ति का बैंक खाता सं.:

तिथि :

उपर्युक्त संदर्भित मेरे/हमारे दावे के अनुमोदन के विचारार्थ, मैं/हम एतद्द्वारा,.....  
(हानि की तिथि) को घटित .....से उत्पन्न दावा, जो.....से.....तक  
की अवधि के लिए वैध पॉलिसी सं. .... के अंतर्गत है, के पूर्ण एवं अंतिम निपटान  
के रूप में .....(बीमा कंपनी का नाम) से.....रूपये की राशि (अनुमोदित  
निवल दावा राशि) स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा, स्वेच्छा से उक्त हानि/दुर्घटना के संबंध में प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः उत्पन्न  
मेरे/हमारे वर्तमान या भावी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में कंपनी को अदायगी रसीद  
प्रदान करता/करते हैं। मैं/हम एतद्द्वारा, उपर्युक्त हानि/नुकसान के संबंध में कंपनी को मेरे/हमारे  
सभी अधिकार और निदान प्रतिस्थापित करता/करते हैं।

एक स्पष्ट का राजस्व टिकट

नामिति/बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पता :

नामिति का खाता संख्या:

साक्षी :

पूरा नाम :

पता :

बैंक प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

बैंक का नाम और शाखा:

पता:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-दावा फार्म  
(दावेदार और बैंक द्वारा पूरा किया जाना है)

1. योजना का नाम : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
2. पालिसी सं. १५८१७८१३४
3. बैंक का पूरा नाम और पता :
4. मृतक सदस्य का पूरा नाम :
5. मृतक सदस्य का बचत बैंक खाता सं.:
6. मृतक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो)
7. सदस्य द्वारा योजना में प्रविष्टि की तिथि:
8. सदस्य की मृत्यु की तिथि :
9. मृत्यु का कारण :
10. नामिती का नाम :
11. नामिती के साथ सम्बंध :
12. नामिती का पता :
13. नामिती का मोबाइल नम्बर :
14. आधार नम्बर, यदि उपलब्ध हो :
15. नामिती के बचत बैंक खाता के विवरण:

आईएफएससी कोड : बचत बैंक खाता संख्या.....

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हर प्रकार से सही हैं तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उपर्युक्त मृतक सदस्य हेतु दायर किया गया यह एकमात्र दावा है। हम विचिह्नित रूप से निष्पादित अदायगी फार्म के साथ सदस्य को मृत्यु के प्रमाण के रूप में मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करते हैं।

\*नामिती के नाबालिंग होने की स्थिति में, अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति दावा फार्म भर सकता है।

(नामिती/दावेदार के हस्ताक्षर\*)

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सदस्य पोएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित था और उसकी मृत्यु से पहले की नवीनीकरण तिथि पर उसके बैंक खाते से प्रीमियम नामे किया गया था और ..... (बीमा कंपनी का नाम) को भेज दिया गया था। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे अभिलेखानुसार श्री/श्रीमती ..... उपरोक्त योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य का/की नामिती हैं।

स्थान.....

तिथि:.....

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मोहर

संलग्नक: मृत्यु प्रमाणपत्र और अदायगी फार्म

पीएमजेज़ बीवाई योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु अदायगी रसीद

पॉलिसी सं. :

बैंक का नाम:

मैं/हम..... इस योजना के अंतर्गत बचत खाता  
संख्या..... के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री..... के जीवन पर पॉलिसी  
के तहत पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने सभी दावों की अदायगी हेतु एतद्वारा  
..... (बीमा कम्पनी का नाम) से 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये केवल)  
की राशि की प्राप्ति की पावती देता/देती हूँ/देते हैं।

स्थान ..... तिथि..... माह..... वर्ष 20

साक्षी:.....

राजस्व

(नामिती\*/दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

नामिती/नियुक्त व्यक्ति (नामिती अव्यस्क होने के मामले में) का विवरण:

नाम :.....

ईमेल आईडी :

मोबाइल नम्बर :.....

आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो):

बैंक खाता सं. :.....

शाखा:

बैंक का नाम :.....

पता : .....

आईएफएससी कोड : .....

(निरस्त चेक की प्रति (यदि उपलब्ध हो) लगायी जाए)

\*यदि नामिती अव्यस्क है तो अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति यह फार्म भरेगा।

(नामिती\*/दावाकर्ता के हस्ताक्षर)